न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष.

निगरानी प्रकरण कमांक 3856–अध्यक्ष/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–7–12 पारित द्वारा तहसीलदार धार जिला धार प्रकरण कमांक 45/अ–12/2011–12.

.....

धापूबाई पति स्व0 बाबुलालजी जाति माली
धंधा खेती निवासी नौगांव धार म0 प्र0 ..... आवेदक

विरूद्ध

1 म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर धार जिला धार
2 नंदराम पिता हेमराज जाति माली धंधा
खेती निवासी नौगांव धार .....अनावेदकगण

.....

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री हेमंत मुंगी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री गौरव सक्सैना, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

.....

:: आ दे श ::
(पारित दिनांक ५ दिसम्बर, 2014)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, धार जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–7–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा तहसील न्यायालय में अपने स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 984/1, 994/3/2 रकबा 3.590 हैक्टेयर एवं 3.009 हैक्टेयर के सीमाकंन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया

गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 45/अ–12/2011–12 दर्ज कर सीमांकन कराया जाकर दिनांक 21–7–2012 को सीमाकंन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) तहसील न्यायालय ने इस वैधानिक तथ्य पर किंचित मात्र भी ध्यान नहीं दिया कि भूमि सर्वे नंबर 984 के नक्शे में कोई बटे नंबर अंकित नहीं थे । इसके बावजूद भी तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 2 द्वारा प्रस्तुत उक्त भूमि के बटे नंबर के आधार पर सीमाकंन का आवेदन स्वीकार किया गया है, जबकि बटे नंबर के आधार पर उक्त भूमि पर सीमांकन किया जाना संभव नहीं था । इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश पूर्णतः अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय ने बिना संहिता की धारा 124 से 129 के अंतर्गत बने नियमों व उप नियमों का पालन किये आदेश पारित करने में गंभीर वैधानिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन भूमि के पड़ोसी काश्तकारों व प्रार्थी को सीमांकन बाबद कोई विधिवत सूचना नहीं दी एवं मौके पर बिना स्थायी चिन्ह ढूंढे, बिना स्केल व कंघी मौके पर बराबर रखे, बिना विधिवत जरीब चलाये मनमाने तौर पर सीमाकंन कार्यवाही की पुष्टि करने बाबत अवैधानिक आदेश पारित करने में विधि की गंभीर त्रुटि की है, जिससे तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) तहसील न्यायालय ने बिना इस बात की जांच किये कि सर्वे नंबर 980/1/1 रकबा 0.929 हेक्टेयर भूमि पर प्रार्थीनी पीढ़ी दर पीढ़ी से काबिज होकर काश्त कर रही एवं उक्त भूमि में उसके स्वंय के दो ट्यूबवेल लगे हुए होकर अनावेदक कमांक 2 ने अवैध रूप से उक्त ट्यूब वेलों पर कब्जा करने की नियत से असत्य तौर पर सीमाकंन प्रतिवेदन में प्रार्थीनी का उसकी भूमि में

कब्जा दर्शाया है । जो स्पटतः प्रार्थीनी की भूमि में लगे दोनों ट्यूबवेलों पर अनावेदक कमांक 2 का कब्जा करने की नियत को दर्शाता है, जिस पर विचार न करते हुए तहसील न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

तर्क के संबंध में 1988 राजस्व निर्णय 105 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत सीमांकन किया गया है, जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी व अनावेदक कमांक 2 ने अपनी–अपनी भूमियों का सीमांकन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत प्रकरण दर्ज कर राजस्व निरीक्षक/पटवारी को सीमाकंन कर प्रतिवेदन मय फिल्ड बुक के प्रस्तुत करने का निर्देश दिनांक 3–11–2011 को जारी किये थे, जिस पर से राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत उभयपक्षों को सूचना पत्र जारी कर व आवेदिका के पुत्र राधेश्याम पिता बाबुलाल डोडीया को मोबाईल फोन पर भी सीमांकन की सूचना दी जाकर सभी की उपस्थिति में विधिवत सीमांकन कार्यवाही संपादित की थी एवं उक्त सीमांकन में अनावेदक कमांक 2 की भूमि की 20 कड़ी भूमि आवेदक के खेत में पाई गई थी, जिस कारण से आवेदिका व उनके पुत्रों ने मौके पर उपस्थित होने के बाद भी पंचनामा पर हस्ताक्षर नहीं किये थे, जिसकी टीप पंचनामा पर अंकित की गई थी एवं उक्त सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है, जिसमें कानूनी रूप से हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(2) तहसील न्यायालय में हुई सीमांकन की संपूर्ण कार्यवाही आवेदिका एवं अनावेदक कमांक 2 के मध्य हुये एक आपसी समझौते दिनांक 26–5–2006 के आधार पर की गई थी एवं तब उभयपक्षों के मध्य न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी धार के समक्ष विचाराधीन फौजदारी प्रकरण में राजीनामा हुआ था, जिस बाबत दस्तावेज माननीय न्यायालय के रिकार्ड पर प्रस्तुत है ।

(3) फील्ड बुक के अवलोकन से स्पष्ट है कि हल्का पटवारी द्वारा उभयपक्षों की उपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर में तोरनोद काकड़ व दक्षिण में रास्ता से कड़ी दर कड़ी मिलान कर सीमांकन कार्यवाही की थी । जिसमें राजस्व निरीक्षक वृत्त 1 व पटवारी लुणाराम सोलंकी एवं भगवत जाट पटवारी ने मौके पर सीमांकन में सहयोग किया था । जिससे उक्त सीमांकन विधिसम्मत होकर उसमें हस्तक्षेप किये जाने की कानूनी रूप से कोई आवश्यकता नहीं है ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण के पृष्ठ 16 पर सीमांकन दिनांक 6–6–2012 को किये जाने संबंधी सूचना पत्र संलग्न है, जिसमें आवेदिका को दूरभाष पर सूचना दिये जाने का उल्लेख है । स्पष्ट है कि दिनांक 6–6–2012 को होने वाले सीमांकन संबंधी सूचना पत्र की तामीली आवेदिका पर विधिवत नहीं हुई है । दिनांक 6–6–2012 के पंचनामा से भी ऐसा परिलक्षित होता है कि आवेदिका एवं बाबुलाल के उपस्थित होकर पंचनामें पर हस्ताक्षर नहीं करने संबंधी टीप बाद में अंकित की गई है, क्योंकि उक्त टीप अंकित करने में हस्ताक्षर पर ओवर रायटिंग हुई है । यहां यह विचारणीय प्रश्न है कि यदि आवेदिका द्वारा पंचनामें पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया था, तब तहसीलदार को उसे बुलाकर सुनना था कि उसे सीमांकन में क्या आपत्ति है। इसके अतिरिक्त सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को सूचना दिये जाने का प्रमाण उपलब्ध नहीं है । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन विधिवत नहीं होने से तहसीलदार द्वारा पारित सीमाकंन आदेश दिनांक 21–7–2012 भी विधिसंगत नहीं ठहराया जा सकता है, इसलिये उक्त आदेश

निरस्त किये जाने योग्य है । अनावेदक क्रमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारो से यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत सीमांकन कराया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जबकि जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत सीमांकन नहीं किया गया है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, धार जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–7–12 निरस्त किया जाता है । प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि विधिवत उभयपक्ष एवं हितबद्ध पड़ोसी कृषकों को सूचना देकर, उनकी उपस्थिति में सीमांकन कराया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया जाये ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर